

भारत सरकार

केंद्रीय जल आयोग

कमर संख्या 308, सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली,
दिनांक 01 नवम्बर, 2017

सेवा में,

श्री शाहिद अख्तर,
4060, सेक्टर-4 B, आकाशगंगा अपार्टमेंट,
वसुंधरा, गाज़ियाबाद-201012

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री शाहिद अख्तर, 4060, सेक्टर-4 B, आकाशगंगा अपार्टमेंट, वसुंधरा, गाज़ियाबाद-201012 से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

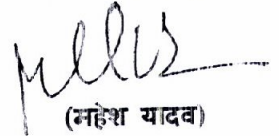
उपर्युक्त विषय पर आपका आवेदन पत्र (Regn No- CWCIND/R/2017/80158 दिनांक 22.11.2017 जो मंत्रालय से Regn No- MOWRC/R/2017/80148 द्वारा स्थानांतरित किया गया है) जो कि स्थापना नौ अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग में 27.11.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गई सूचना का उत्तर इस प्रकार है-

क्रम सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	बताने का कष्ट करे कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में अनुबंध पर रखे गए/ कार्य कर रहे कर्मचारियों/ अधिकारियों की कार्य अवधि और मानदेय/ वेतन सहित उनकी सूची देने का कष्ट करे।	केंद्रीय जल आयोग का स्थापना-IX अनुभाग केवल आयोग के स्टाफ कार ड्राइवर का ही केंद्र नियंत्रण करता है। इस अनुभाग से सम्बंधित, जहां तक स्टाफ कार ड्राइवर का सम्बंध है, स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर अनुबंध पर किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया है।
2.	इन कर्मचारियों/ अधिकारियों की पंजीकृत नियुक्ता एजेंसियों के नाम व पते सहित सूची तथा उन्हें मिलने वाले कमीशन का ब्योरा दे।	केंद्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
3.	बताने का कष्ट करे कि पाँच वर्ष से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की नीति की जानकारी दे। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में ऐसे कितने रिक्त पद हैं। पद व रिक्त अवधि सहित इनकी सूची दे। बताने का कष्ट करे कि ऐसे पाँच साल से रिक्त चले आ रहे समाप्त किए गए पदों की सूची देने का कष्ट करे।	केंद्रीय जल आयोग का स्थापना-IX अनुभाग केवल आयोग के स्टाफ कार ड्राइवर का ही केंद्र नियंत्रण करता है। स्टाफ कार ड्राइवर केंद्र में 4 पद पिछले पाँच वर्ष से रिक्त हैं।
4.	विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी देना का कष्ट करे कि जिनका पद तो कुछ और है और उनसे काम कुछ और लिया जा रहा है। कार्यकाल व वेतन सहित ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची दे।	केंद्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।

5	बताने का कष्ट करे कि मुख्य श्रमालुक्त श्री बी.के.सॉवरिया कि तारीख 23 जनवरी, 2013 को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में काम करने वाले अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों/ अधिकारियों से संबंधित शिक्कायतों पर की गई कार्यवाई का ब्योरा दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
6	बताने का कष्ट करे कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में पंजीकृत सेवा प्रदात्री कंपनियों के अतिरिक्त भी अनुबंध पर कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगर हाँ तो इनकी सेवा का संचालन लेन नियमों के तहत किया जा रहा है, उनकी जानकारी दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
7	अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12, 10 और 7 का पूरी तरह विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों का पालन करने कि जानकारी देने का कष्ट करे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
8	विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अनुबंध पर रखने के लिए अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(जी) के तहत प्रधान नियोक्ताओं कि सूची पता व पद सहित देने का कष्ट करे। साथ ही यह भी बताए कि किन किन कार्यों के लिए कर्मचारी व अधिकारी अनुबंध पर रखे गए हैं। इन कार्यों से अनुबंध पर लोगों को रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करने कि जानकारी दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।

2. उपरोक्त प्रदान कि गई सूचना से संतुष्ट न होने कि स्थिति में, उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, आप अपनी प्रथम अपील श्री एल वी टोटटे, निदेशक (स्थापना-1), कमरा संख्या 321, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को भेज सकते हैं।

भवदीय,


(महेश यादव)

अवर सचिव एवं केन्द्रीय
लोक सूचना अधिकारी,
दूरभाष-29583344

प्रति:

1. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को उनके पत्राचार संख्या A-49012/8/2017/RTI/386 दिनांक 22.11.2017 के सन्दर्भ में।
2. DD(SMD) को इस पत्र की प्रतिलिपि आयोग की वेबसाइट में RTI पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

अप
गोप

अनु./Sec./निदे./Dle.
डा. सं./Dy. No. 380
दिनांक/Date 5-12-17